RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13102/2026
CNR: RJHC020806312026 | URN: CRLMB / 24227U / 2026

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Koshendra S/o Rohtash, R/o Village Basai, P.s. Mehada, District Jhunjhunu At Present Reside On Rent House No. 29, Arjunpuri, First Imali Fatak, P.s. Jyoti Nagar, Jaipur South (Accused At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mritunjya Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Tanveer Ahamad Mr. Iliyas Khan Mr. S. Umer Aalam Ms. Julekha

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना ज्योति नगर, जिला–जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 241, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में पक्षकारों के मध्य जो सिविल विवाद है, उसे आपराधिक रंग देकर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह अंकित है कि परिवादी के खाते में दिनांक 30.03.2026 को ही राशि जमा हो गई और कलक्टर स्टाम्प का नोटिस भी उन्हें दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त हो गया, उसके पश्चात् भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2026

(Uploaded on 18/11/2026 at 11:20:11 AM)
(Downloaded on 18/11/2026 at 12:17:31 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

को विलम्ब से दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने जेवीवीएनएल से परिवादी के प्लॉट के दस्तावेज प्राप्त कर उनके आधार पर कूटरचित इकरारनामा तैयार किया है। इस संबंध में जेवीवीएनएल का अधिकारी श्री महावीर परीक्षित हुआ है, जिसने अपने कथन में यह कहा है कि परिवादी परेश बनकर उसके पास एक व्यक्ति आया था, जो वास्तविकता में प्रार्थी–अभियुक्त था, परन्तु उसके द्वारा यह पहचान किस प्रकार से की गई, यह स्पष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि दिनांक 30.03.2026 को 10,00,000 रूपये से अधिक की राशि परिवादी के खाते में जमा होने के उपरान्त भी उसने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इससे स्पष्ट है कि यह राशि इकरारनामा के तहत विक्रय मूल्य के लिए दी गई थी। वैसे भी प्रकरण में अपराध करने का प्रयास हुआ है, कोई अपराध नहीं हो सका है। उनका तर्क है कि मूल इकरारनामे पर जो हस्ताक्षर हैं, उनके कूटरचित होने के संबंध में एफएसएल की कोई रिपोर्ट नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से विवादित इकरारनामा दिनांकित 18.07.2025, जिसे परिवादी कूटरचित बता रहा है, के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी प्रस्तुत कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि मामला सिविल प्रकृति का है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में परिवादी ने सौदा किया था, परन्तु वह प्रार्थी के पक्ष में विक्रयपत्र पंजीकृत नहीं करवा रहा था, इस कारण उसने एक परिवाद भी दिनांक 09.05.2026 को पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर शहर दक्षिण में पेश किया था। प्रार्थी दिनांक 05.08.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने सोचे–समझे योजनाबद्ध तरीके से उक्त अपराध कारित कारित किया है। उसने पहले परिवादी के विद्युत कनेक्शन के संबंध में दस्तावेज स्वयं परिवादी बनकर जेवीवीएनएल में जाकर देखें, जहां से बैंक खाते का विवरण और परिवादी के हस्ताक्षरित दस्तावेज उसे उपलब्ध हो पाये और तब उसने उनके आधार पर परिवादी के खाते में एक राशि जमा करवाई और दस्तावेजों पर जो हस्ताक्षर थे, उनके आधार पर इकरारनामे पर कूटरचित हस्ताक्षर किये तथा प्लॉट का विक्रय इकरारनामा

(Uploaded on 18/11/2026 at 11:20:11 AM)
(Downloaded on 18/11/2026 at 12:17:31 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

बनाया। उनका तर्क है कि परिवादी का प्लॉट दो करोड़ रूपये की कीमत का था और इकरारनामा केवल 40,00,000 रूपये का लिखा गया है। उनका तर्क है कि तथाकथित मूल इकरारनामा खो जाने की रिपोर्ट भटटा बस्ती थाने में प्रार्थी ने सोचे–समझे ढंग से करवाई और प्रकरण में गिरफ्तार होने पर बाद में जब उससे मूल इकरारनामा बरामद करने का प्रयास किया, तो उसने कहा कि इकरारनामा उसने फाड़कर जला दिया है। उनका तर्क है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में परिवादी की ओर से किसी प्रकार का कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। परिवादी को खाते में राशि जमा होने की कोई सूचना नहीं हुई, क्योंकि वह एन्ड्रोइड फोन नहीं रखता है। उसे पहली बार कलक्टर स्टाम्प का नोटिस दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त होने पर सूचना हुई थी। प्रार्थी गुजरात में निवास करता है। उनका तर्क है कि उक्त नोटिस प्राप्त होने पर परिवादी ने जानकारी की तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की और उसके पश्चात् यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें जो समय लगा है, वह अनावश्यक रूप से लगा हुआ समय नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि अन्वेषण से यह सामने आया है कि इकरारनामा की दिनांक को, उससे पूर्व या बाद में कभी भी प्रार्थी–अभियुक्त और परिवादी के मध्य मोबाईल पर किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई है, जैसा कि कॉल विवरण से स्पष्ट है। साथ ही दोनों के फोन की लोकेशन भी किसी एक स्थान की कभी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में विक्रय इकरारनामे का निष्पादन सम्भव नहीं था। उनका तर्क है कि प्रार्थी ने परिवादी की महंगी सम्पत्ति हड़पने के लिए उक्त इकरारनामा कूटरचित किया और उसके आधार पर न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 241, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने परिवादी का प्लॉट हड़पने के लिए सोचे–समझे ढंग से योजनाबद्ध तरीके से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 के कार्यालय में जाकर स्वयं को परिवादी होना दर्शित करते हुए विद्युत कनेक्शन के दस्तावेज प्राप्त किये, जिनमें परिवादी का बैंक खाता नंबर

(Uploaded on 18/11/2026 at 11:20:11 AM)
(Downloaded on 18/11/2026 at 12:17:31 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

व उसके हस्ताक्षर अंकित थे। इसी के आधार पर उक्त प्लॉट का कूटरचित विक्रय इकरारनामा अपने नाम से दिनांक 18.07.2025 को तैयार किया, जिस पर परिवादी के कूटरचित हस्ताक्षर किये। उक्त इकरारनामा 40,00,000 रूपये मूल्य का तैयार किया, जबकि सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य दो करोड़ रूपये था। इसी क्रम में जेवीवीएनएल से प्राप्त दस्तावेजों में अंकित परिवादी के बैंक खाते में 10,00,000 रूपये की राशि दिनांक 30.03.2026 को जमा करवा दी और इसी इकरारनामा के आधार पर संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी ने स्वयं द्वारा कूटरचित इकरारनामा के गुम हो जाने की शिकायत भट्टा बस्ती थाने में दर्ज करवाई और गिरफ्तार होने के पश्चात् पूछताछ में उक्त इकरारनामा फाड़कर जला देना बताया है। कलक्टर मुद्रांक से दिनांक 28.04.2026 को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् परिवादी को सूचना मिली, जिस पर उसने जानकारी कर दस्तावेज प्राप्त किये और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रकरण के अन्वेषण से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि तथाकथित कूटरचित इकरारनामे के समय, उससे पूर्व अथवा बाद में प्रार्थी व परिवादी की मोबाईल फोन पर कभी कोई वार्तालाप नहीं हुई और न ही कभी उनके मोबाईल फोन की लोकेशन एक स्थान की रही। इस संबंध में सीडीआर भी पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/59/VISHAL SHARMA

(Uploaded on 18/11/2026 at 11:20:11 AM)
(Downloaded on 18/11/2026 at 12:17:31 PM)